न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री छीतरसिंह तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 25/2019 ता0 रजु. 27.06.2019 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 04.07.19

सरकार

बनाम

पप्पू पुत्र रामखिलाड़ी जाति जोगी निवासी मिलकपुर तह0 बयाना जिला—भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का मिलकपुर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम मिलकपुर के खसरा न0 1482/2 रकवा 0.47 हैक्ट में से रकवा 0.01 हैक्ट किस्म भूमि सिवायचक पर सम्वत 2076 में श्री पप्पू पुत्र रामखिलाड़ी जाति जोगी निवासी मिलकपुर तह0 बयाना ने धूड़ा डालकर अतिकमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी गई। अतिकमी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिकमण किया है। अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिकमी के विरूद्ध एकपक्षीय न्यायिक कार्यवाही कर अतिकमित खसरा नम्बर 1482/2 रकवा 0.01 हैक्ट वाके ग्राम मिलकपुर से बेदखल किया जाता है। लगान 0.31 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 16 रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली का दाम लागत
क. बे. सं. 04 के पेज नं. 3
दिनांक 5/7/19 को वर्ष 2019-20 में
पेनल्टी रु. 16 फसल नीलामी
रु. .... की जा चुकी है।
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)